फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ एएआई-पटना/सीपी-II/ 2023-28
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
*****

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 08 फरवरी, 2024

दिनांक 24 जनवरी, 2024 की सार्वजनिक सूचना संख्या 31/2023-24 का परिशिष्ट

विषय: जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना (पीएटी) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2023 से 31.03.2028) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने संबंधी ऐरा के दिनांक 13 जनवरी, 2024 के परामर्श पत्र संख्या 23/2023-24 के संबंध में परामर्श प्रक्रिया के लिए समय-सीमा बढ़ाने के संबंध में

जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना (पीएटी) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2023 से 31.03.2028) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने संबंधी दिनांक 13.01.2024 के परामर्श पत्र (सीपी) संख्या 23/2023-24 की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा प्राधिकरण ने हितधारकों से निर्धारित समय-सीमा के अनुसार परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/विचार मांगे हैं।

2. इस संबंध में, कुछ हितधारकों के अनुरोध पर प्राधिकरण ने उपरोक्त परामर्श पत्र (सीपी) के संबंध में हितधारकों द्वारा टिप्पणियां/विचार प्रस्तुत करने के लिए नीचे बताए अनुसार समय-सीमा आगे बढ़ाने के लिए अनुमोदन दे दिया है:-

विवरण	**परामर्श पत्र के अनुसार वर्तमान समय-सीमा**	**बढ़ाई गई समय-सीमा**	**ऐरा की अनुमति से आगे बढ़ाई गई समय-सीमा**
हितधारकों द्वारा फीडबैक, टिप्पणियां और सुझाव प्रस्तुत करना	02.02.2024	09.02.2024	12.02.2024
हितधारकों की टिप्पणियों पर हवाईअड्डा प्रचालकों (एएआई) की जवाबी टिप्पणियां	09.02.2024	19.02.2024	22.02.2024

3. यह सभी हितधारकों के लिए सूचनार्थ है।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)